रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 301] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 1997/श्रावण 3, 1919
No. 301] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 1997/SRAVANA 3, 1919

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1997

सा. का. नि. 405 (अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना जो कि सा. का. नि.328 (अ) दिनांक 19-6-97 को भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i) में प्रकाशित, ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1997 में :—

पृष्ठ 1 पर

(क) पंक्ति 18 में ''ओर'' के स्थान पर ''और'' पढ़ें।

पृष्ठ 2 पर

(क) पंक्ति 8 में ''निमर्नलिखित'' के स्थान पर ''निम्नलिखित'' पढ़ें।

(ख) सारणी में क्रमांक संख्या 1(ख) में :—

''जहां शोध्य ऋण की रकम 10 लाख रुपये से अधिक है रुपये के शोध्य ऋण या उसके भाग के लिए एक हजार रुपये''	''12,000 रुपये जमा दस लाख रुपये से अधिक, प्रत्येक एक लाख किन्तु अधिकतम 1,50,000 रुपये के अधीन रहते हुए''

के स्थान पर

''जहां शोध्य ऋण की रकम 10 लाख रुपये से अधिक है''	''12,000 रुपये जमा दस लाख रुपये से अधिक, प्रत्येक एक लाख रुपये के शोध्य ऋण या उसके भाग के लिए एक हजार रुपये, किन्तु अधिकतम 1,50,000 रुपये के अधीन रहते हुए'' पढ़ें।

पृष्ठ 3 पर

(क) पंक्ति 5, 7, 8 में ''प्रत्यार्थी'' के स्थान पर ''प्रत्यर्थी'' पढ़ें।

[सं. 18/2/93-समन्वय]

डी. आर. एस. चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th July, 1997

G. S. R. 405(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance published as G.S.R. 328 (E) dated 19-6-1997 in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 3—sub-section (i) regarding Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993,—

at page 3 (English Version)

(i) in line 10 for "short", read "Short";

(ii) in line 13 for "rules", read "Rules";

(iii) in line 14 add "-" at the end of the line;

(iv) in line 20, for "of", read "or";

(v) in line 24 after the word "application" add "but, where the Tribunal is of opinion that the application";

(vi) in line 27, for, "," read ";" ;

at page 4

(i) in line 2 add "-" at the end of the line;

(ii) in line 5, for "For", read "for" ;

(iii) in line 10, for "dabts", read "debts";

(iv) in line 34, for "perid", read "period";

at page 5

(i) in line 3, for " ". " read "";"

[F. No. 18/2/93-Coord]

D. R. S. CHAUDHARY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 -- 1997